

रोख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की ता जारी ह
4/3/21	<p>प्राथी एवं वकील प्राथी उप० नहीं। बार-बार आवाज दिलाई गई। किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। चूंकि दावावादी अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रा० पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी T.I. खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल हयतर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)</p>	